

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

कृष्णलाल वर्णवाल प्रथम पक्ष

बनाम्

राजेश मोरी द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 02/2021

धारा 133 दण्डसं०

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(दिएँ अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता० से तक

जिला गिरिडीह सं० सन् 2021

केस का प्रकार

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>11/08/2021</p> <p>C.C. Issued 06/08/2021</p> <p>C.C. Issued 06/08/2021</p>	<p>आवेदक/अवेदिका कृष्णलाल वर्णवाल पिता/भति ..</p> <p>सं० राजेश मोरी ग्राम राजबारी रोड</p> <p>थाना सरिया जिला गिरिडीह द्वारा</p> <p>दं० प्र० सं० की धारा 133 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा लखी सरिया</p> <p>खाता 3/881 प्लॉट 104</p> <p>रकबा 8.5 बीघा चौहद्दी : 30- अनोज मोरी</p> <p>द०- राजेश मोरी पू०- राजमाला जमीन/भीनेवाजी</p> <p>प०- राजपन बाबा/सरिया में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया</p> <p>गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया/थाना</p> <p>प्रभारी सरिया से माँगे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 31/8/2021 को उपस्थापित</p> <p>करें।</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी</p> <p>बगोदर-सरिया।</p>	<p>260</p> <p>11/08/2021</p>

11/9/2021

अभिलेख उपस्थापित ।
अधम पक्ष डाटा २०५० सं० डी घाटा 133 के
अंतर्गत डिग्री प पक्ष (राजेनु मोदी एव अन्य) के
विरुद्ध छापबाही प्रारंभ होने का मनुरोध किया
जाया था। उक्त अभिलेख के आलेख में मंचल
अधिकारी/पाना प्रभारी सदिया से प्रिबेदन /
अनुपकी मांग की गई थी।

अंचल अधिकारी सदिया के पत्रांक ५४२
दिनांक २५/८/२०२१ के डाटा प्रिबेदन सम्बंधित किया
जाया। जौन प्रिबेदन के अवलोकन के बाद में
संगुष्ट हुई कि कुमाँ से पानी बाने एवं जली में
आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होते हैं जिससे
क्षेत्र में शांति अंग खून-खराबा तथा उपद्रव हो
सकता है जो भी अधिकार क्षेत्र में आता है
डिग्री प पक्ष का यह कृत्य सार्वजनिक उपद्रव
(Public Nuisance) की श्रेणी में आता है। इसबाद
में संगुष्ट हुई कि इस मामले में दस्तावेजों का
हाने तथा उल्लंघन में शांति बनाये रखने के
लिए नियोजन के जरूरी मांगपत्र है।

इन तथ्यों के आलेख में उभयपक्षों में
के विरुद्ध डाटा 133 २०५० सं० के अंतर्गत
छापबाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय
पक्षों से दिनांक 14/09/2021 को धारण-पृच्छा
की मांग की जाती है। स्पष्ट नहीं पक्ष विशेष
के पक्ष में दखल-चढ़ा संगुष्ट किया जाये।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- बड़की सदिया, पाना नं० - ५५ खाना नं०
३/४४। प्लॉट नं० - 104 रकबा ४.५ जी० जोही
उत्तर- मनोज मोदी, दक्षिण- रविनु मोदी
पूरब- जलमा बहली 10 जी० ने गजोपाई रोड एवं
कुमाँ पश्चिम- राजधन बा. रोड सदिया

11/09/21
मनुरोध अधिकारी
बड़ोपा - सदिया

आदेश
कारवाई
दिप्पणी तारीख
क० सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिप्पणी तारीख सहित

1


2

3

4/9/2021

अभिलेख उपस्थापित।
उभय पक्ष उप०।

To 28/09/21




28/9/2021

उभय पक्ष उप०। अनु० १०३१० अन्वयार्थ में
उपस्थ। अभिलेख दिनांक 26/10/2021 को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

26/10/2021


उभय पक्ष उप०। डिनिय पक्ष
के द्वारा S/c डारिबल किया
जाया। बहल हेतु दिनांक
9/11/2021 को रखा।



9/11/2021

उभय पक्ष उप०। उभय पक्ष
द्वारा लमय की मांग की
गई जिसे स्वीकृत किया जाता
है।

To 16/11/21



6/11/2021

उभय पक्ष उप०। अनु० १०३१० अन्वयार्थ में
उपस्थ। अभिलेख दिनांक 30/11/2021
को रखा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

30/11/21

उत्तर प्रदेश सरकार। प्रधान मंत्री के द्वारा लिखित अभिकरण दारिद्र्य। प्रधान द्वारा दारिद्र्य आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन ने भूमि की चौकड़ी में रास्ता दर्ज किया है तथा आवेदन न्यायालय में भी स्वयं लीकार करते हैं कि उनका एक रास्ता है। ऐसी परिस्थिति में इस बात को चलाये जाने से कोई अहित नहीं है। बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

C.C. Issued 08/11/21 2030/21
 C.C. Issued 08/11/21 2030/21

30/11